न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 30/2017
सीसीएमएस : 2017/00098

1. सूर्यकान्त पुत्र मिठाराम जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. बाबुलाल पुत्र नानकराम जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. शशिकान्त पुत्र बाबूलाल जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. संदीप पुत्र शशीकान्त जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री सुभाष चन्द्र विश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री अजीत कुमार सुथार, अप्रार्थी सं. 2 ता 4

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता मिठाराम के पास सन् 1958 से चक 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 3 नया मु.नं. 1 की कुल 16 बीघा 10 बीस्वा यानि कुल 4.175है. नहरी भूमि टी.सी. पर आवंटन होती थी। उपरोक्त भूमि को टी.सी. से पुख्ता आवंटन करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.1980 को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को लगाई थी, जिसका मिसल नं. 471/78 अनवान सरकार वनाम मिठाराम हैं। प्रार्थी को दिनांक 22.05.1981 से 8–9 वर्ष पूर्व अप्रार्थी सं. 2 व प्रार्थी की माता केसरीदेवी ने प्रार्थी को मिठाराम पुत्र रामलाल जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला को दत्तक पुत्र के रूप में गोद में दे दिया था। जिसका दिनांक 22.05.1981 को जरिये पंजीयन अधिकारी रायसिंहनगर से गोदनामा पंजीयन विधि पूर्वक करवाया गया। दतक देने के बाद बचपन से प्रार्थी अपने दतक पिता मिठाराम की सेवा करने लगा। प्रार्थी के दतक पिता मिठराम की 27 पीएस के मु.नं. 3 नया 1 की 16 बीघा 10 बीस्वा नहरी भूमि वर्ष 1958 से मिठाराम को टी.सी. पर चल रही थी। जिसमें काश्त प्रार्थी द्वारा की जाती थी। प्रार्थी के दतक पिता ने दिनांक 23.11.1980 को स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। उक्त पत्रावली में प्रार्थी ही कार्यवाही करने लगा। दिनांक 17.02.1984 को मिठाराम की मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थी ने अपने दतक पुत्र होने के सबूत उक्त पत्रावली में पेश किये पर दिनांक 11.04.1984 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी ने मिठाराम का दतक पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से आंवटन करने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 22.05.1981 को जरिये वसीयत प्रार्थी के हक में कर दी थी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र सब रजिस्ट्रार महो. रायसिंहन[illegible] था कि मिठाराम बीमार व बेहोश है अप्रार्थी सं. 2–3 बीमारी काफयदा उठाकर [illegible] भूमि अपने नाम करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी सं. 2–3 ने एक फर्जी [illegible] रवा रखी थी, जिसमें किसी व्यक्ति का अंगूठा निशानी [illegible], जो उर्दू में हस्ताक्षर करते थे। भूमि आवंटन पत्रावली [illegible] ने दिया, जिसमें लिखा कि मिठाराम ने केसरीदेवी को वसीयत की हैं जिसके आधार पर उक्त [illegible] केसरीदेवी को आवंटन हो। अप्रार्थी सं. 2–3 ने केसरीदेवी के नाम मिठाराम की एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली, जिसको रायसिंहनगर के नोटेरी ने वसीयत फर्जी होने व मिठाराम के बेहोश व बीमार होने के कारण तस्दीक नहीं की, तथा उपपंजीयक रायसिंनहगर ने रजिस्टर्ड नहीं की। जिस पर कूटरचित वसीयत श्रीगंगानगर के नोटेरी वकील से तस्दीक करवाई। अप्रार्थी सं. 2–3 ने केसरी देवी के नाम फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कागजात का हवाला देकर अपने नाम से भूमि आवंटन करवा ली । जिसका निर्णय दिनांक 04.05.1985 को हुआ। मिठाराम के चार पुत्रीयां व प्रार्थी एकमात्र दतक पुत्र था। अप्रार्थी सं. 2–3 ने सभी चार पुत्रीयों के नाम भूमि आवंटन नहीं करवाकर केवल केसरीदेवी के नाम आवंटन करवा ली। जबकि मिठाराम की अन्य तीन पुत्रीयां दतक पुत्र सूर्यकान्त को भूमि देने के लिए सहमत थी। केसरीदेवी अप्रार्थी सं. 2–3 से डरती थी व उनके कहने में थी। प्रार्थी ने दिनांक 15.02.1984 व 06.06.2002 को केसरीदेवी द्वारा मिठाराम की फर्जी वसीयत बनाकर भूमि का इंतकाल करवाने से रोकने के लिए तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रार्थना पत्र दिये। लेकिन फिर भी अप्रार्थी सं. 2–3 ने अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रार्थी को भूमि से वंचित कर दिया। प्रार्थी ने जब केसरी देवी के नाम भूमि आंवटन होने पर निर्णय के खिलाफ अपील 187/2002 सूर्यकान्त बनाम राज. सरकार राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 08.09.2003 को गोदनामा में लिविंग एवं टेकिंग नहीं होने का हवाला देकर अपील खारिज कर दी। अप्रार्थी सं. 3 ने 2008 में सिविल न्यायाल में एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा शशिकान्त बनाम सूर्यकान्त आदि प्र.सं. 40/08 दर्ज किया। जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2017 में प्रार्थी को मिठाराम का दत्तक पुत्र मान लिया व प्रार्थी को यह निर्देश दिया गया कि प्रार्थी अपने प्राकृतिक पिता बाबूलाल की संतान मानने, दर्शाने व जाहिर करने से पूर्णतया बाज व ममनू रहे व प्रार्थी अपने आपको मिठाराम का दत्तक पुत्र माने। तथा प्रार्थी दत्तक पुत्र होने की डिक्री भी जारी कर दी। वादग्रस्त भूमि केसरीदेवी के नाम आवंटन होने के बाद अप्रार्थी सं. 2–3 ने अपने नाम वसीयत करवा ली। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 3 को 11 बीघा 10 बीस्वा भूमि का बेचान कर लाभा प्राप्त कर लिया। अप्रार्थी सं. 2–3 ने मिलीभगत कर प्रार्थी को डरा कर भूमि में से हक ना मांगने के लिए 5 बीघा भूमि को विक्रय कर 9,00,000/– रूपये हडप कर लिये तथा अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं. 4 को लाभ प्राप्त करने के लिए 5 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। प्रार्थी दिनांक 22.03.2017 को अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पास गया और कहा तो प्रार्थी को हक हिस्सा नहीं देने का कहा व भरी पंचायत से बेईज्जत कर धक्के मारकर निकाल दिया। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा लगातार चला आ रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 भूमि को रहन बैय व हस्तांतरण कर देते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि चक 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 3 नया मु.नं. 1 की कुल 16 बीघा 10 बीस्वा यानि कुल 4.175है. भूमि को किसी अन्य को रहन बैय व खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे व कब्जा काश्त में मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे। बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मिठाराम के साथ रहकर उसकी सेवा करता था स्वीकार हैं। मिठाराम ने वसीयत पूर्णतया वैधानिक रूप से तहरीर तकमील की थी। मिठाराम की मृत्यु पश्चात उक्त वसीयत का क्रियान्व्यन भी हो चुका हैं। आवंटन पूर्णतया विधि अनुरूप था। मिठाराम ने वसीयत करवाने का कारण दर्ज किया है कि सूर्यकान्त उसकी सेवा नहीं करता कहने में नहीं हैं और बदतमीजी करता हैं। सिविल न्यायालय ने पंजीकृत दस्तावेज दत्तक ग्रहण पत्र के आधार पर दिया। न्यायालय द्वारा अपनी और से कोई नई घोषणा का आदेश नहीं दिया। विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मिठालाल द्वारा गोद लिये जाने का आधार नहीं माना जा सकता। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के दत्तक पुत्र होने बाबत घोषणा का कोई आदेश नहीं दिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का बिनाय दावा विनाय मुखास्मत हासिल नहीं हैं। प्रार्थी के पास विवादित भूमि का कब्जा नहीं हैं। मात्र 5 बीघा भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा हैं। उक्त 5 बीघा भूमि पर भी प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी को विवादित भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं होने के कारण किसी व्यादेश अनुतोष ना मिले से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा–खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मिठाराम के चार पु[illegible] एकमात्र दतक पुत्र था। अप्रार्थी सं. 2–3 ने केसरीदेवी के नाम मि[illegible] फर्जी कागजात का हवाला भूमि आवंटन करवा ली। सिवि[illegible] प्रार्थी को मिठाराम का दत्तक पुत्र माना हैं। अप्रार्थी विवादित भूमि [illegible] की उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारि[illegible]रने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के दत्तक पुत्र होने बाबत घोषणा का कोई आदेश नहीं दिया गया। भूमि आवंटन एवं वसीयत दोनों विधि अनुरूप हैं। प्रार्थी को विवादित भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2017 में प्रार्थी सूर्यकान्त को मीठाराम का दत्तक पुत्र स्वीकार किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि मूल रूप से मीठाराम को ही आंवटित हुई थीं अप्रार्थी सं. 2–3 को यह विधिविरूद्ध तरीके से आवंटित हुई या नहीं आदि प्रश्नों का विस्तृत तनकीवार विवेचन मूल वाद में होना हैं। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 से 3 रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी के पैतृक अधिकारों का निर्णय मूल वाद में होना हैं। तब तक भूमि का बेचान आदि होने से वाद बढने की ही सम्भावना हैं। अतः वादवर्णित भूमि पर प्रार्थी के अधिकारों को अपूर्णीय क्षति होने से बचाने के लिए निषेधाज्ञा पारित की जानी न्यायोचित प्रतीत होती हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि विवादित भूमि चक 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 3 नया मु.नं. 1 की कुल 16 बीघा 10 बीस्वा यानि कुल 4.175है. भूमि पर मूल वाद निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner